

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 1(4) आ.प्र.एवं सहा/सामान्य/2020/14727-65
जयपुर, दिनांक 20.11.2020

अधिसूचना

वर्षा की कमी, सतही जल और भू जल उपलब्धता में कमी, फसलों की कमजोर स्थिति एवं रिमोट सैन्सिंग से प्राप्त सूचनाओं आदि को ध्यान में रखते हुए खरीफ सम्वत् 2077 में सूखे के कारण अभाव से प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन कर सूखा प्रबन्ध संहिता 2016 के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के 6 जिलों के आगे अंकित तहसीलो को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित तहसीलो के सूखाग्रस्त ग्रामों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 6 माह तक लागू रहेंगे:-


क्र.सं.	जिला	खराबा वाली तहसीलो की संख्या	गम्भीर सूखाग्रस्त तहसीलो के नाम	मध्यम सूखाग्रस्त तहसीलो के नाम
1	बाडमेर	4	1. शिव 2. गडरारोड़	1. रामसर 2. चौहटन
2.	बीकानेर	7	1. लूणकरणसर 2. पूंगल	1. बीकानेर 2. नोखा 3. कोलायत 4. छत्तरगढ़ 5. श्रीडूंगरगढ़
3	जैसलमेर	3	-	1. फतेहगढ़ 2. पोकरण 3. भणियाणा
4	झालावाड़	8	1. असनावर 2. गंगधार 3. सुनेल 4. पिड़ावा 5. डग 6. रायपुर 7. पचपहाड़	1. बकानी
5	पाली	2	1. पाली	1. सुमेरपुर
6	प्रतापगढ़	1	1. छोटीसादड़ी	-
योग		25	13	12

राज्यपाल की आज्ञा से,

3
(अलोक गुप्ता)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री
2. विशिष्ट सहायक, आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
11. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम. डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम. डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
15. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
16. संभागीय आयुक्त, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर, राज.।
17. जिला कलेक्टर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झालावाड, पाली, प्रतापगढ़, राजस्थान।
18. निदेशक जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
19. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
20. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
21. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
22. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।


संयुक्त शासन सचिव